छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5–12 / 2017 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/ 11 / 2020

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन,जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली –110003।

विषयः– Diversion of 112.385 ha. of Revenue forest land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Range, District - Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh.

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-41/2017-FC , दिनांक 27.09.2017।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / खनिज / 331–215 / 2033, दिनांक 12.11.2020।

---00---

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 27.09.2017 के माध्यम से सशर्त सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/– उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 12.11.2020 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिससे विभाग सहमत है। जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–12 / 2017 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/ 11 / 2020

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalu

पंजी क्रमांक 2456 /201/10–2/वन
दिनांक 23-11-2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर– 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–215/2033 रायपुर, दिनांक 12/11/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: – **Diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest range, District - Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh. RegistrationNo.FP/CG/MIN/13199/2015**

संदर्भ :– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क. F. No. 8-41// 2017/ FC दिनांक 27.09.2017

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1151 दिनांक 21.05.2019 एवं पत्र क्रमांक 2238 दिनांक 06.10.2020

–0–

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र–1 द्वारा एस.ई.सी.एल को गेवरा खुली खदान के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 112.385 हे. वन भूमि में **कोयला उत्खनन** हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र --2 के माध्यम से प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

S. No.	Condition	Compliance
I	Legal status of the diverted forest land remain unchanged	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है। **संलग्नक पृष्ठ 320 पर है।**
II	Compensatory Afforestation shall be done over degraded forest land twice in extent to the forest area proposal to be diverted within a period of three years with effect from the date of issue of Stage – II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest department at the cost of the user agency. At least 1000 saplings per hectares shall be planted over 224.77 he. (224770 plants). If this is not possible to plant this many seedlings in the identified DFL, the balance seedlings will be planted in other suitable degrated forest land as per the prescription of the Working Plan at the cost of the User agency. In such case CA cost will be revised and duly approved by competent authority and deposited online in	आवेदित वन भूमि 112.385 हे. के विरूद्ध 224.770 हे. में वर्ष 2018–19 में लागू क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दर में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि शामिल करते हुए रू. 18,55,03,805/– क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कैम्पा मद में जमा किया गया है । कटघोरा वन मंडल के जटगा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी–273 एवं पी–274 में 143 हे. एवं केन्दई परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी–318 में 83 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल का अंतिम रूप से चयन किया गया है। जमा राशि की पुष्टि में वेब जनरेटेड कैम्पा भुगतान पत्रक की छाया प्रति **संलग्नक पृष्ठ 8(ए) पर है।**

कार्यालय प्रमुख सचिव, वन विभाग
आवक क्रमांक 4601
दिनांक 18/11/2020

जावक क्र. 3330
अवर सचिव/वन/20
दिनांक 19.11.20

पत्र क्रमांक 5743
दिनांक 19.11.20

19 NOV 2020

	the CAF managed by CAMPA 25% of the CA cost additionally will be spent towards Soil and Moisture Conservation activities in the proposed CA area as per the requirement and deposited in CAF.	
III	On examination of Compensatory Afforestation land on Google Satellite Imagery and DSS tools, it is found that 30 ha area is having dense vegetation and 53 ha land seems to be under encroachment. State Government shall exclude the land under encroachment and very dense vegetation from the proposed CA area and additional degraded forest land which is free from encumbrances/encroachment and degraded shall be selected prior to stage II approval. The land shall be analysed through DSS at state level prior to submission to MoEF&CC for consideration. State Government shall submit DSS analysis report along with the compliance of this condition.	भारत सरकार द्वारा की गई प्रेक्षा के पालन में 30 हे. सघन क्षेत्र तथा 53 हे. अतिक्रमण क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जायेगा। इसके बदले में वन मंडलाधिकारी कटघोरा वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र केंदई के ग्राम झिनपुरी में कक्ष क्रमांक पी 318 रकबा 83.00 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा। वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की छाया प्रति **संलग्नक पृष्ठ 293 पर है।** उक्त स्थल का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी वन मंडलाधिकारी कटघोरा वन मंडल के द्वारा जारी किया गया है जो **संलग्नक पृष्ठ 294 पर है।** इसके अलावा 143 हे. तथा 83 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण साईट के लिये **डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट भी संलग्न** है।
IV	State Government Shall reconfirm the enumeration list of trees prior to stage II approval.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में प्रभावित 984 वृक्षों के विदोहन हेतु आवश्यक राशि वन मण्डलाधिकारी के मांग के अनुसार पी.डी.खाते में जमा की गई है।
V	The User agency shall ensure the construction of residential accommodation for workers will be undertaken separately on non – forest land to avoid pressure on forest land for temporary construction.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 48(ए) पर है।**
VI	Safety zone shall be fenced with coiled barbered wire fencing of a 6 feet high for the protection of forests.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 380 पर है।** आवेदक संस्थान द्वारा 7427745/– रू. की राशि भी इस हेतु कैम्पा मद में जमा की गई है जिसकी वेब जनरेटेड भुगतान पत्रक से पुष्टि होती है।
VII	Safety zone along the lease boundary, shall be implemented by the User agency in accordance with the guidelines issued by the MoEF & CC in this regard.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 380 पर है।**
VIII	Encroachment from the lease area of the User Agency should be avicted and in case eligible claimants are found in the area propose for diversion, they should be rehabilitated as per R&R policy of the State Government of Chhattisgarh in consonance with the National R&R policy.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 41 पर है।**

IX	The user agency should undertake comprehensive greening in the villages located in the surrounding of thir lease area.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 42 पर है।**
X	Mined out forest area already reclaimed by the User Agency, should be handed over back in the State Forest Department with a view to bring it under the ambit of core forestry management.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है कि भारत सरकार कोयला मंत्रालय की गाईड लाईन के अनुसार सी.बी एक्ट के अंतर्गत प्राप्त की गई भूमि को छ.ग. शासन वन विभाग को 2038–39 तक खनन एवं रिक्लेम करने के बाद सौंप दिया जायेगा। वचन पत्र **संलग्नक पृष्ठ 381 पर है।**
XI	The UA should prepare a land surrender schedule for surrender of the mined out and biologically reclaimed forest land in accordance with the existing mine plan irrespective of progressive mine closure plan and submit an surrender schedule and an undertaking that mined out and biologically reclaimed forest land will be surrendered to the State Forest Department as per this schedule. No. further change in the schedule for surrendering of forest land should be allowed.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 43 पर है।** land surrender schedule निम्नानुसार संलग्न पृष्ठ 56 पर आवेदक संस्थान ने प्रस्तावित किया है। Land Surrender Schedule Year — Land in ha. 2036-37 — 40 2037-38 — 40 2038-39 — 32.385
XII	With a view to enrich the water regime in the area, a comprehensive Catchment area Treatment Plan in the area to arrest flow of silt in the Hasdeo River and to improve water regime should be implemented at the project cost.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 44 पर है।**
XIII	A study should be undertaken at the project cost to assess the impact of intervention undertaken by the SECL, in consultation with the State Forest Department, for the protection, conservation and development of wildlife in the area. Based on the outcome of such study, the measures for protection, conservation and development of the wildlife, if needed may further be strengthened at the project cost.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 44 पर है।** कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट की ड्राफ्ट रिपोर्ट CGCOST छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा तैयार की गई है जो **संलग्नक पृष्ठ 60 से 81 पर है।**
XIV	No forest land should be used for undertaking the diversion of district road, bifurcating the Revenue forest land proposed to divert by the User Agency, While undertaking diversion of the said road, the User Agency should select such alignment ensuring that accessibility / connectivity is maintained in the ease of the local residents.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 48(बी) पर है।**
XV	It is reported that the user agency had biologically reclaimed 404.8 ha. of land. A subcommittee of FAC under the chairmanship of SH. Deepak Sinha IG (FC), Sh. R.K. Dey APPCF regional office Bhuvneshwar and Sh. Sandeep Sharma	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को कोई सूचना लिखित में प्राप्त नहीं है। आवेदक विभाग द्वारा लेख किया गया है कि तत्संबंध में FC कमेटी से कतिपय अधिकारीगण द्वारा एवं वन कार्यालयीन

	AIG(FC) shall visit the site and submit repoirt on the status of biologically reclaimed area to MoEF and CC.	स्टाफ रायपुर, बिलासपुर एवं कटघोरा वनमंडल द्वारा दिनांक 19.11.17 को क्षेत्र का दौरा किया गया है।
XVI	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India topo-sheet of 1:50,000 scale.	CA हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को सर्वे आफ इंडिया के टोपो शीट में दर्शाकर **संलग्नक पृष्ठ 302 एवं 303 पर है।** इसके अलावा डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट भी पृथक से संलग्न की गई है।
XVII	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of the Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 18,55,03,805/– कैम्पा मद में दिनांक 23/03/2018 को ई–चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है जिसका वेब जनरेटेड कैम्पा पत्रक **संलग्नक पृष्ठ 8(ए) पर है।** जिस समय भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी जायेगी उस वर्ष के मान से लागू क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दर के अनुसार आवेदक संस्थान से अंतर की राशि वसूल की जायेगी।
XVIII	The User Agency shall transfer the funds for the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 through online portal of Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned.	आवेदक विभाग द्वारा एन.पी.व्ही की राशि 7,03,53,010/– कैम्पा मद में दिनांक 23/03/2018 को ई–चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है जिसका वेब जनरेटेड कैम्पा पत्रक **संलग्नक पृष्ठ 8(ए) पर है।**
XIX	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 334 पर है।**
XX	Any fund received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration / demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA through online portal of Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned.	एडहॉक कैम्पा में समस्त राशि जमा की जा चुकी है। वेब जनरेटेड कैम्पा पत्रक **संलग्नक पृष्ठ 8(ए) पर है।**
XXI	Following activities shall be undertaken by the user agency at the project cost and appropriate cost of the plan/scheme shall be deposited in Ad-hoc CAMPA Account. (a) A plan containing appropriate mitigative measures to minimize soil erosion and	आवेदक विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 344 दिनांक 25.11.2019 के द्वारा यह अनुरोध किया है कि उन्हें कैम्पा मद में परियोजना राशि जमा करने से छूट दी जाए क्यों कि शर्तो में उल्लेखित गतिविधियां

	choking of streams shall be prepared implemented. (b) Planting of adequate drought hardy plan species and sowing of seeds in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion. (c) Construction of check dams, retention / toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour. (d) Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28, and (e) Strict adherence to the prescribed top soil management.	उनके द्वारा द्वारा प्रोगेसिव माईन्स क्लोजर प्लान के अंतर्गत की जा रही है। यह पत्र **संलग्नक पृष्ठ 82 पर है** तथा शर्त से संबंधित **वचन पत्र पृष्ठ 45 पर है**
XXII	User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986.	तत्संबंध में आवेदक विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के डिवीजन I.A-II (Coal Mining) के पत्र क्रमांक J-11015/85/2010-IA.II (M) दिनांक 28.03. 2019 की कॉपी प्रस्तुत की गई हैं जो **संलग्नक पृष्ठ 362 पर है**
XXIII	User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest ares and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 46 पर है।** वन मंडलाधिकारी, के प्रतिवेदन अनुसार कार्या. पत्र क्रमांक 2055 दिनांक 26.08.2019 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर को एवीफौना योजना अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अनुमोदन उपरांत राशि कैम्पा में जमा की जावेगी। एवीफौना योजना में कराये जाने वाले कार्य एवं व्यय होने वाले राशि का उल्लेख Chapter-9 में किया गया है। **(संलग्नक पृष्ठ–206)**
XXIV	Fencing, protection and regeneration of the safety zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety shall be part of the total area of mining lease as per the Ministry's guidelines dated 27.05.2015] shall be done at the project cost within three years and maintained therafter forest land to be selected elsewhere measuring one &a half times the area under safety zone also be at	आवेदक विभाग द्वारा सेफ्टजोन से लगे हुये 100 मी. सीमा में बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य की राशि रू. 1,25,44,636/– कैम्पा में दिनांक 23/03/2018 को जमा की गई है जिसका वेब जनरेटेड कैम्पा पत्रक **संलग्नक पृष्ठ 8(ए) पर है।**

	the project cost.	
XXV	User agency either himself or through the State Forest department shall undertake afforestation on degraded forest land, one and half time in extent to the area used for safety zone.	तत्संबंध में आवेदक विभाग द्वारा सेफ्टीजोन के 1.5 गुना बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षोरापण की राशि 74,27,745/– कैम्पा में दिनांक 23/03/2018 को जमा की गई है जिसका वेब जनरेटेड कैम्पा पत्रक **संलग्नक पृष्ठ 8(ए) पर है।**
XXVI	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and regulation) Act, 1957, and the Rules framed there-under as amended.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 364 पर है।**
XXVII	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forest (having crown density less than 0.4) if any, located in the area within 100 meters from outer perimeter of the mining lease.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 365 पर है।**
XXVIII	The User agency shall prepare a list of existing village tanks and other water bodies with GPS co-ordinates located within five km. From the mine lease boundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional Forest Officer. The User agency shall regularly undertaking desilting of these village tanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/ware bodies. A detailed plan for desilting of identified ponds and water bodies to be prepared in consultation with forest department and shall be submitted to MoEF &CC before Stage-II approval.	आवेदक विभाग द्वारा माईनिग क्षेत्र लगे हुये ग्रामों के 41 तालाबो का गहरीकरण, Desiltation योजना तैयार प्रस्तुत किया गया है जिसे वन विभाग के मानिटरिंग में पूर्ण किया जायेगा इस संबंध में आवेदक का वचन पत्र संलग्न है जो **संलग्नक पृष्ठ 47 पर है।** Desiltation योजना **संलग्नक पृष्ठ 278 से 282 पर है।**
XXIX	User agency shall undertake mining in a phased manner and take due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan shall executed by the user agency as paer the approved mining plan/scheme and annual report in implementation therof shall be submitted – to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Odisha and the Addl. Principal Chief of Forests (Central), Ministry of Environment &Forests, Regional Office (Eastern Zone), Bhubaneswar. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से यह सहमति दी गयी है कि उनके द्वारा खनन को क्रमिक रूप से किया जायेगा तथा खनन किये गये क्षेत्र के रिक्लेमेशन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जो **संलग्नक पृष्ठ 385 पर है।**

	reclamation plan are not being executed by the user agency, the Nodal Officer of the Addl. Principal Chief Conservator of Forest (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed.	
XXX	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 382 पर है।**
XXXI	User agency shall provide firewood preferably alternate fuel to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the adjacent forest areas.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 48 पर है।**
XXXII	Boundary of the mining lease and safety zone shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 383 पर है।**
XXXIII	Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 384 पर है।**
XXXIV	State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry vide their letter No. 11-9/1998-FC(pt.) dated 3rd August 2009 read with 05.07.2013, in support thereof,.	तत्संबंध में आवेदक विभाग द्वारा कलेक्टर कोरबा से प्राप्त एफ.आर.ए. की कॉपी प्रस्तुत की गई है। ये प्रमाण पत्र कलेक्टर कोरबा द्वारा दिनांक 29.04. 2015 एवं 03.12.2014 की स्थिति में क्रमशः 62.819 हे. राजस्व वन भूमि तथा 49.566 हे. वन भूमि के लिये दिये गये है। दिनांक 03.12.2014 के प्रमाण पत्र में 41 वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का उल्लेख है जो रलिया ग्राम के है और जो वन भूमि 2.383 हे. पर वन अधिकार मान्यता पत्र धारण करते है। **(संलग्नक पृष्ठ –55ए एवं उपरांत)**
XXXV	The user agency shall submit the annual self compliance report of the above conditions to the state Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March every year regularly.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 377 पर है।**
XXXVI	Any other condition that the Regional Office (Western Zone), Bhopal of this Ministry, may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests &wildlife, and	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 378 पर है।**

XXXVII	The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Act, Rules, Regulations, guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है जो **संलग्नक पृष्ठ 379 पर है।**

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर से प्राप्त प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन औपचारिक स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित है।

संलग्नः– 1. संलग्नक 2 सेट में
2. बिन्दु (iii) अनुसार 83 हे. एवं 143 हे. क्षेत्र का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़